कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/मा/संस्था/सी–8/विविध/एसीपी/17 दिनांक– 13.10.17

1. समस्त उपनिदेशक,
   माध्यमिक
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय)

विषय – ए.सी.पी आवेदन पत्र प्रेषित करते समय संलग्न चैक लिस्ट के अनुसार पूर्ति कर भिजवाने हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा ए.सी.पी. आवेदन भिजवाते समय आवेदन पत्रों में बार–बार कमियां होने के कारण प्रकरण आक्षेप अंकित कर लौटाये जाते है। जिससे अनावश्यक राजकीय समय एवं श्रम की हानि होती है। आपको पत्र के साथ चैक लिस्ट संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों को चैक लिस्ट के अनुसार पूर्ण कर प्रत्येक प्रकरण पर चैक लिस्ट संलग्न कर भिजवाना सुनिश्चित करें। भविष्य में बिना चैक लिस्ट के प्रकरण स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याता पद पर पदस्थापन के लिए काउंसलिंग में राज्य सरकार से समय समय पर गई चर्चा एवं निर्देशों के क्रम में रिक्त पदों को प्रदर्शित करने के लिए मार्गदर्शन–

1. जिले के स्पष्टतः रिक्त पद को ही काउसलिंग हेतु प्रदर्शित किया जाना हैं।
2. जिस जिले में अधिकतम रिक्त पद हों उस जिले के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर काउसलिंग हेतु प्रदर्शित किया जाना हैं।
3. जिले के रिक्त पदो के विद्यालयों में अधिक नामांकन के आधार पर रिक्त पदों को वरिष्ठता के अनुसार प्रदर्शित किया जाना हैं।
4. पदस्थापन हेतु उपलब्ध आशार्थियों के अधिकतम 150 प्रतिशत कुल रिक्त पदों को काउसलिग हेतु प्रदर्शित किया जाना हैं।
5. डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाडमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ आदि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जिलों में शैक्षिक व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से रिक्तियां प्राथमिकता के आधार प्रदर्शित की जाय। जिससे इन जिलों में शैक्षणिक सिथति में सुधार किया जा सके।
6. शहरी क्षेत्र व शहर के नजदीक रिक्तियों का प्रदर्शन उसी स्थिति में किया जाय जब उस जिले की ग्रामीण क्षेत्र की रिक्तियां न्यून हो।
7. माननीय न्यायालय आदेशों की पालना में, पदस्थापन आदेशों की प्रतिक्षा में, दोहरा पदस्थापन, निलंबन से बहाल, अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति से लोटने पर पदस्थापन हेतु प्रतिक्षा में के लिए प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार अनुपातिक रूप से पद रिक्त रखे जाय।
8. प्रधानाचार्य का पद राज्य स्तरीय केडर का होने से रिक्त पदों को प्रदर्शित किये जाने का सम्पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

उक्तानुसार निर्देशों की पालना में काउंसलिंग में रिक्त पदों को प्रदर्शित किया जायेगा।

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर